<u>**न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)**</u>

<u>**निगरानी क्र............. /07**</u>

R 791-I/07

श्रीमती पिंकी पति श्री कमलकुमारजी अग्रवाल,
उम्र 31 वर्ष, निवासी पिपल्यामण्डी
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) —**प्रार्थी / निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

नगर पंचायत, पिपल्यामण्डी
मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
पिपल्यामण्डी, तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर (म.प्र.) —विपक्षी

13/4/07

क्रमांक 80-7444
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 20-4-07 को प्राप्त
क्लर्क रीडर कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>**निगरानी अंतर्गत धारा 330,331 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 विरूद्ध नगर पंचायत के आदेश दिनांक 15.3.2007 परिषद संकल्प क्र.120 / 19**</u>

माननीय महोदय,

नगर पंचायत, पिपल्यामण्डी के परिषद संकल्प क्रमांक 120 / 19 दिनांक 15.3.07 से व्यथित होकर प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

<u>**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–**</u>

1. यह कि प्रार्थी ने जसवंतसिंह पिता बापूलालजी कोठारी, सुरेन्द्र, भंवरलाल, कांतादेवी, सुशीला पिता बापूलालजी कोठारी से पिपल्यामण्डी स्थित वार्ड क्र.5 पुराना गाड़ी अड्डा के पास भूमि सर्वे क्रमांक 75 पे कि 16X80=1280 वर्ग फिट भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.05 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया है तथा प्रार्थी उक्त क्रय किये गये भूखण्ड के आधिपत्य में बतौर स्वामी है।

2. यह कि प्रार्थी ने नगर पंचायत में उक्त भूखण्ड पर क्रेताओं के स्थान पर अपने नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ।

3. यह कि नगर पंचायत ने प्रार्थी का नामांमरण करने के बजाय प्रश्नाधिन संकल्प पारित कर यह निर्णय लिया कि भूमि सर्वे कमांक 73, 74 व 76 की नपती करवाई जावे तथा जो भी व्यक्ति अतिक्रमण में आता है, की सभी जमीनें अतिक्रमण वाली नगर पालिका को दिलायी जाने हेतु कार्यवाही की जावे और सीमांकन के पश्चात प्रकरण का परीक्षण कर नामांतरण प्रकरण परिषद मिटिंग में लिया जावे।

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 791-सात/07 जिला इंदौर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26/10/18 | आवेदक अधि - श्री कैलाश जोशी उप- उन्होंने प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस किए जाने का अनुरोध किया। उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण उक्त सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जावे। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो- अभिलेख वापिस हो। (हस्ताक्षर) प्र.सा. सदस्य | सक्षम न्यायालय में वापस करने हेतु वापस लिया- (हस्ताक्षर) |